

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास विभाग
संख्या: ७४२/VII-१/2013/166-उद्योग/2011
देहरादून : दिनांक: ०५अप्रैल, २०१३

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन अधिनियम, 2012 “The Uttarakhand Enterprises (Single Window Facilitation and Clearance) Act, 2012 की धारा-14 के प्राविधान के अनुसार प्रदेश में मेगा उपकरणों को आकर्षित करने एवं प्रोत्साहन योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किये जाने हेतु मेगा इण्डस्ट्रीयल तथा इन्वेस्टमैन्ट पालिसी, 2013 प्रस्थापित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष रखीकृति प्रदान करते हैं।

2— उक्त मेगा इण्डस्ट्रीयल तथा इन्वेस्टमैन्ट पालिसी, 2013 के अन्तर्गत प्रदेश में स्थापित होने वाले मेगा प्रोजेक्ट हेतु तत्कालिक प्रभाव से निम्नानुसार रियायतें अनुमन्य होंगी :-

- (1) मेगा इण्डस्ट्रीयल तथा इन्वेस्टमैन्ट पालिसी, 2013 (Mega Industrial & Investment Policy, 2013) के अन्तर्गत उद्योग के अतिरिक्त चिकित्सालय (Hospital) भी समिलित होंगे।
- (2) रु० ७५.०० करोड से अधिक पूँजी निवेश की नई परियोजनाएं (Projects) की इन्वेस्टमैन्ट कहलायेंगी।
- (3) इस नीति के तहत यदि कोई विद्यमान (Existing) उद्योग विस्तारीकरण के तहत रु० ७५.०० करोड से अधिक का पूँजी निवेश करता है तो ऐसा विस्तारीकरण भी इस नीति से आच्छादित होगा।
- (4) मेगा प्रोजेक्ट के रूप में स्थापित होने वाले उद्योग/चिकित्सालय को भूमि के लिये विलेख पत्र/लीज डील के निष्पादन/पंजीकरण में ५० प्रतिशत स्टॉम्प शुल्क प्रभार से छूट दी जायेगी।
- (5) इस नीति के अन्तर्गत स्थापित उद्योगों से मात्र १ प्रतिशत की दर से केन्द्रीय ब्यापार कर लिया जायेगा।
- (6) यदि कोई उद्योग/चिकित्सालय अपने परिसर में विद्युत का कैप्टिव जनरेशन (Captive Generation) करता है तो विद्युत शुल्क (Electricity Duty) से ०७ वर्षों तक ५० प्रतिशत की छूट दी जायेगी।
- (7) यदि उद्योग एवं चिकित्सालय की स्थापना सिड्कुल द्वारा आवंटित भूमि पर की जाती है तो इस हेतु आवंटित की जाने वाली भूमि हेतु दर का निर्धारण सिड्कुल द्वारा एकाधिक औद्योगिक आस्थान में तत्समय प्रचलित भूमि दर पर २५ प्रतिशत छूट प्रदान करते हुए किया जायेगा।

- (8) मेगा प्रोजेक्ट हेतु क्य की जानी वाली भूमि पर प्रदान की जा रही उपरोक्त छूट औद्योगिक विकास विभाग / स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस प्रयोजन हेतु निर्धारित मानकों के अन्तर्गत भूमि की तय सीमा तक ही अनुमन्य होगी।
- (9) सिडकुल द्वारा दी जाने वाली भूमि के मूल्य (छूट के उपरान्त) का 20 प्रतिशत आवंटन पर तथा शेष 07 वर्ष की समान किश्तों में निर्धारित ब्याज सहित देय होगा।
- (10) तीन वर्षों तक कियान्वित (Operational) न होने वाले उद्योग / चिकित्सालय से उपरोक्त अनुमन्य समस्त रियायतें वापस ले ली जाएंगी।
- (11) प्रारम्भ में उक्त छूट वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्राप्त होने वाले प्रस्तावों हेतु मान्य होगी तथा वित्तीय वर्ष के अन्त में इसके बढ़ाये जाने पर विचार किया जायेगा।

(रामेश शर्मा)

प्रमुख सचिव।

4/4/2013

पृष्ठांकन संख्या: 742 (1)/VII-I/2013/166-उद्योग/2011, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी को मा० मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. समस्त निजी सचिव, मा० केबिनेट/राज्य मंत्रीगणों को मा० केबिनेट/राज्य मंत्री गणों के संज्ञानार्थ।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
5. सचिव, गोपन (भौतिकरण) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. आयुक्त गढवाल मण्डल पोड़ी/कुमाऊँ।
7. निदेशक उद्योग, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, आई०टी० पार्क, सहस्रधारा रोड, देहरादून।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. निदेशक, एन०आई०सी० सचिवालय परिसर, देहरादून को वेबसाईट पर प्रकाशित किये जाने हेतु।
11. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की-हरिद्वार को इस-निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त नीति को आगामी गजट में प्रकाशित करते हुए नीति की 100 प्रतियां औद्योगिक विकास विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
12. गार्ड फाईल।



(शैक्षण बगौली)

अपर सचिव।